हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 12 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2021

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जनगणना के ''रॉ डेटा'' की मांग निरस्त की

ओबीसी को महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में आरक्षण नहीं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब इन चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीटों में तब्दील कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दिया गया। इन सीटों को सामान्य सीट मानते हुये चुनाव करवाया जाए।

कोर्ट ने अपने 6 दिसम्बर के आदेश में किसी तरह की तब्दीली से इन्कार करते हुये कहा कि राज्य चुनाव आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्तेभर में नईअधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसम्बर को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किये बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ट्रिपल टेस्ट का पालन किये बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश स्वीकार नहीं।

इन ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं

1 राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए आयोग की स्थापना

2 आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायवार प्रावधान किये जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अधिकता का भ्रम न हो

3 किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटो के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

'' रॉ डेटा'' की मांग भी खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें केन्द्र को यह निर्देश दिये जाने की मांग की गई थी कि महाराष्ट्र सरकार को 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना व अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अपरिष्कृत आंकड़े ''रॉ डेटा'' उपलब्ध करावे।

कोर्ट ने कहा की जब केन्द्र ने कहा है कि यह डेटा अनुपयोगी और गलतियों से भरा है तथा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो राज्य सरकार की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

याचिका के जवाब में केन्द्रीय में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि पिछड़े वर्गों की जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है।

कोर्ट ने केन्द्र की यह दलील स्वीकार की कि 2011 में ओबीसी की संख्या जानने को जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। परिवारों का पिछड़ापन जानने का सर्वे हुआ था।

केन्द्रीय सरकार ने जनगणना में आर्थिक व अन्य सामाजिक दृष्टि से किये गये आकलन व आंकड़ों को सही नहीं माना है, अतः न्यायालय की केन्द्रीय सरकार के इस रूख के बाद ''त्रुटिपूर्ण'' आंकड़े रिलीज नहीं करना चाहती है।

हरियाणा सरकार ने नौकरियों एवं दाखिलों के लिए अधिसूचित किए मानदण्ड

जजों, सांसदों और विधायकों के बच्चों को नहीं मिलेगा आरक्षण

6 लाख रूपये से ज्यादा सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को भी लाभ नहीं

चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए तय आरक्षण पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों को मिलने वाले आरक्षण के लिए मानदण्ड तय किये है। सरकार ने इसका नोटिफिकेश जारी कर दिया है। जजों, सांसदों व विधायकों के बच्चों को अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और भी कई केटेगिरी तय की है, जिन्हें आरक्षण से बाहर किया है।

दरअसल प्रदेश सरकार ने नौकरियों व दाखिलों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब पिछड़े वर्गों से नवोन्नत व्यक्तियों के निष्कासन के लिए नये मानदण्ड तय किये है। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा यह नोटिफिकेश जारी किया गया है।

नोटिफिकेश की सूचना प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सभी बोर्ड निगमों व संस्थानों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों अम्बाला, हिसार, गुरूग्राम, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डलों के आयुक्तों, सभी डीसी, एसडीएम तथा सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को भेजी गई है ताकि इस पर अमल हो सके।

अधिसूचना अनुसार, संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व राज्यों में हाईकोर्ट के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग व राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पुत्र पुत्रियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलगा। इसी तरह के अन्य संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को भी यह लाभ नहीं मिलेगा।

अखिल भारतीय, केन्द्रीय व राज्य सेवाओं के वर्ग क और वर्ग ख- श्रेणी-, व श्रेणी- के अधिकारियों के पुत्र और पुत्रियों जिनके माता-पिता में से एक या दोनों इन श्रेणियों में सेवारत है तथा सार्वजनिक श्रेत्र के उपक्रमों जैसे बैंको, बीमा संगठनों में समकक्ष या समतुल्य पदों को धारण करने वाले अधिकारियों के पुत्र व पुत्रियों के लिए ये निर्देश आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ये भी रहेंगे वंचित

सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेना में मेजर या उच्च पद पर या जल सेना या वायु सेना में समकक्ष पद पर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं जिन परिवारों की सालाना आय 6 लाख से अधिक है और अधिकतम निरन्तर 1 वर्षों की अवधि के लिए उनके पास एक करोड़ से अधिक की सम्पदा है तो उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष की कलम से

सबका साथ सबका विकास

साथियो।

समतामूलक मानवीय समाज भारतीय चेतना का बीज है। जिसे सनातन संस्कृति ने पाला-पोसा है। राजसत्ताऐं अपने मद में रहकर भी इस चेतना से बाहर नहीं हो पाई थी। कोई एक हजार साल की गुलामी और दूसरी संस्कृतियों के आक्रमण के बाद भी समतामूलक चेतना आज तक वर्तमान है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यह मानव सभ्यता का प्राणतत्व है।

आजादी के इतने सालों बाद केन्द्र में कोई सरकार आई जिसने सबका साथ सबका विकास जैसा पौराणिक आदर्श राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार ही नहीं उस पर काम भी किया है। हम इस पर सकारात्मक इसलिये नहीं है कि इसमें समता का आदर्श समाहित है। बल्कि इसलिये है कि यह भारत देश की आत्मा का स्वर है।

सबके देखते-देखते चुनावों के दौरान आरक्षित वर्गों का जो आतंकित वर्चस्व दिखाई देता था वह काफी हद तक तिरोहित हो चुका है। आरक्षित वर्ग से एकतरफा प्यार किसी भी दल को कभी भी फलीभूत नहीं हुआ। शासन करने वाली प्रत्येक पार्टी को समतामूलक सिद्धांतों पर लौटना ही पड़ा। सत्ता पाने के लिए प्रत्येक पार्टी अपने-अपने ढंग से विचारों को विचलन स्वीकारती हैं लेकिन सत्ता में आते ही उसे वापस संविधान के समतामूलक निर्देशों के अनुसार ही चलना पड़ता है। यह आवश्यक भी है और शुभ भी।

जय समता।

सम्पादकीय

क्या सचमुच आने वाले है अच्छे दिन

भारत भूमि को ''अच्छे दिन आने वाले है''- जैसा लोकलुभावन नारा देने वाली भूतपूर्व विदेशमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज अब दुनिया में नहीं हैं। लेकिन लगता है उनका नारा एक सच बनने जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके इस नारे से पहले देश कोई खून के आंसू बहा रहा था!! क्योंकि तब तक देश सूई से लेकर अन्तरिक्ष यान के निर्माण, संचालन और प्रतिपालन की योग्यता प्राप्त कर चुका था। लेकिन फिर भी उनका नारा फलीभूत हुआ और उनकी पार्टी प्रचण्ड बहुमत से केन्द्र सरकार की सत्ता पर काबिज हुई और दुबारा हुई।

''अच्छे दिन'' की लोक परिभाषाएं अलग-अलग हैं। किसानों को लगा कि कृषि बिल वापस करवाने का उनका एक साल चला शांतिपूर्ण आन्दोलन सफल हुआ तो अच्छे दिन आयेंगे? राजस्थान सरकार ने एक लाख संविदा कर्मियों को पक्का करने का निर्णय किया है तो उनके अच्छे दिन आ ही जायेंगे। देश के नौ लाख बैंक कर्मियों ने बैंक निजिकरण के विरोध में अपना दो दिन का वेतन कटवाकर हड़ताल की तो शायद उनके अच्छे दिन आ जायेंगे? इसके उलट सुरसा के मुख की तरह बढती बेरोजगारों की भीड़, पर्यावरण का दूषित होते जाना, नदियों का सड़ना और भूजल का समाप्त होना आदि-आदि कितनी ही राष्ट्रीय चिंताएं है जो ''अच्छे दिनों'' पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

बावजूद सब बातों के समता आन्दोलन अपने उद्देश्यों में से एक जातिगत आरक्षण के समाप्त होते संकेतों बल्कि स्पष्ट संकेतों को देखकर कह सकता है कि ''अच्छे दिन आने वाले है''। जिस तरह से देश के सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में और मध्यप्रदेश के पंचायती चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को अवैध मानकर उसके बिना चुनाव करवाने का निर्णय दिया है उससे अच्छे दिनों की आशा करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

हालांकि वर्तमान में एससी-एसटी का भी जात के आधार पर आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है फिर भी सैंकड़ों साल की गुलामी से उपजे जातीय विद्वेष को मिटाने के लिए इस श्रेणी के जातीय आरक्षण को 3-5 साल और चालू रखा जा सकता है। लेकिन शुद्धरूप से कथित राजनैतिक चतुराई के चलते ओबीसी को दिया गया आरक्षण तो किसी भी तरह उचित नहीं माना जा सकता है। इसके समाप्त होने का मतलब है एसबीसी, एमबीसी आदि का भी समाप्त होने की संभावना।

जाति आरक्षण ने 1960 के बाद जिस तरह वोट बैंक बनाने का गैरलोकतांत्रिक पाप किया है उससे देश को बेहद नुकसान हो चुका है। पूरा प्रशासन तंत्र एक तरह से जड़ता का शिकार हो चुका है। जातीय समरसता बढने के बजाय जातीय वैमनस्य बढा है। शिक्षा और चिकित्सा जैसे जीवन के आधारभूत ढांचे को जाति आरक्षण ने लाभ से कहीं बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है।

केन्द्र सरकार का ''सबका साथ सबका विकास'' ही भारतीय संस्कृति का मूल स्वर रहा है। इस दिशा में आगे बढना भारत को विश्वशक्ति बनाने की गारंटी भी हो सकता है। दूसरी तरफ जात के आधार पर वोटों का ध्रुविकरण रूककर लोकतंत्र मजबूत होगा। ओबीसी आरक्षण के समापन की शुरूआत देश के हर नागरिक के लिए वरदान बन सकता है। आजाद देश सांस्कृतिक मर्यादाओं और मूल्यों की रक्षा करते हुये भी संविधान के अनुसार ही चलता है। यही शुभ है। इसी शुभता के आधार पर हम कह सकते है कि अच्छे दिन सच में आने वाले हैं।

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

तो क्या सच में जाति आरक्षण की विदाई शुरू हुई !!

स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुये नेताओं से बनी संविधान सभा ने जातिवादियों के दबाव में केवल राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिए सन 1960 तक के दस सालों के लिए आरक्षण का जो संवैधानिक प्रावधान किया था वह आज एक नासूर का रूप ले चुका है। ये एक तथ्य है। राजनैतिक प्रतिनिधत्व का आरक्षण आगे बढता हुआ इतना फैल गया कि वर्तमान में मौत को छोड़ कर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ आरक्षण का दुरूपयोग न हो रहा हो। दुरूपयोग शब्द का प्रयोग इसलिए सही कहा जा सकता है कि भारत का संविधान ''पिछड़ेपन'' के अलावा किसी दूसरे तरह से आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।

जाति आरक्षण को तथ्यत: देखे तो आज उसका कोई भी औचित्य नहीं है। जब देश आजाद हुआ तब आबादी 32-33 करोड़ थी। आज 135-140 करोड है। वो पीढी जिस पर कथित तौर से हजार साल तक अत्याचार हुये थे, वह तो कभी की खत्म हो चुकी है। उसके बाद दो पीढियाँ और बीत चुकी है तब भी संविधान को नकारकर जाति आरक्षण जारी रखना एक अनैतिक मानवीय व्यवहार है जिसे जात के आधार पर नेता बने लोगों और दलों ने खूब भुनाया है।

हाल ही कुछ उत्साहजनक घटनाएँ आशा बंधाती है कि अब जाति आधारित आरक्षण के दिन बीतने वाले है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाने का निर्देश सुप्रीमकोर्ट ने दिया है। ऐसे ही आदेश मध्यप्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए भी जारी हुए हैं। इनसे आगे बढकर हरियाणा सरकार ने सबको चौंकाते हुए न केवल आरक्षित वर्ग की सालाना कमाई मात्र छ: लाख रूपये तक सीमित कर दी बल्कि आरक्षण के सभी वर्गों में क्रीमीलेयर को बाहर कर दिया है (मुख पृष्ठ का समाचार देखें)। यह बेहद उत्साहजनक और देश के सुनहरी भविष्य के प्रति आशान्वित करने वाला सरकारी पुरूषार्थ है।

तथ्य बताते है कि अब देश को जाति आधारित आरक्षण की आवश्यकता है भी है। आजादी के बाद के 75वें साल को समारोह पूर्वक मनाने की तैयारी में यह याद किया जा सकता है कि अब दलितों का नुकसान दलित ही कर रहे हैं। कथित सवर्णों ने तो भाग्य से समझौता ही कर लिया है बल्कि देशहित में त्याग किया और जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाकर देश को सहयोग दिया जबकि कथित दलितों ने उदासीन रहकर अपनी आरक्षित सीटे बढवाने के प्रयास को पूरा किया। राजस्थान इसका

हाल ही कुछ उत्साहजनक घटनाएँ आशा बंधाती है कि अब जाति आधारित आरक्षण के दिन बीतने वाले है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाने का निर्देश सुप्रीमकोर्ट ने दिया है। ऐसे ही आदेश मध्यप्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए भी जारी हुए हैं। इनसे आगे बढकर हरियाणा सरकार ने सबको चौंकाते हुए न केवल आरक्षित वर्ग की सालाना कमाई मात्र छ: लाख रूपये तक सीमित कर दी बल्कि आरक्षण के सभी वर्गों में क्रीमीलेयर को बाहर कर दिया है।

उदाहरण है। इसके अलावा जातीय जिद के चलते अयोग्य लोगों की 50 प्रतिशत नियुक्ति से पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। संभवत: इसीलिये सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या को लगभग आधी की ही है आगे भर्तियों पर ऊहापोह की स्थिति बनाकर आरक्षण के भय को कम करने का प्रयास किया है।

संभावना मानी गई थी कि जाति आरक्षण से देश में एक समरसता का वातावरण बनेगा। लेकिन दुर्भाय से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि जातिवाद का दायरा दिन दूना बढता ही चला गया। जातीय

संभावना मानी गई थी कि जाति आरक्षण से देश में एक समरसता का वातावरण बनेगा। लेकिन दुर्भाय से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि जातिवाद का दायरा दिन दूना बढता ही चला गया। जातीय विद्वेष आक्रोश में बदल गया। और इतना बदला की दो अप्रेल 2018 को देश ने एक तरह का गृहयुद्ध का पूर्वाभ्यास देखा।

विद्वेष आक्रोश में बदल गया। और इतना बदला की दो अप्रेल 2018 को देश ने एक तरह का गृहयुद्ध का पूर्वाभ्यास देखा। हालांकि केन्द्र सरकार ने तत्काल संविधान संशोधन करके हालात को और बिगडने से बचा लिया। अन्यथा कुछ भी हो सकता था। यानि कुल मिलाकर मानवीय समन्वय का सपना केवल सपना ही रह गया।

यह सिद्ध करने के आवश्यकता नहीं है कि निजिकरण की गोद में प्राय: 75 प्रतिशत समा चुका भारत को इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन तंत्र को बचाने के लिए ऐसा करके कल्याणकारी सरकार को अपना मूल स्वरूप ही बदलना पड़ा है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह पूरी दुनिया में जनता को स्तर दोयम रह गया है तब जातीयता का जहर ढोया भी नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात ये कि जाति आरक्षण का बंटवारा बेहद असंतुलित हुआ। उदाहरण के तौर पर जाट समुदाय देश का समर्थ रजवाड़ा और यौद्धा रहा है। इस अकले ने मानो ओबीसी आरक्षण को निजी सम्पत्ति मान लिया और भरपूर लाभ उठाया। राजस्थान का मीणा समाज वास्तव में आरक्षण का हकदार था ही नहीं मगर फिर भी देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का मात्र 0.25 प्रतिशत होते हुए भी आज आयकर, रेलवे, बैंक आदि अन्य बड़े क्षेत्रों के सभी बड़े पदों में से अधिकांश पर काबिज है। ऐसे अन्य उदाहरण भी चिंता पैदा करते है और जाति आरक्षण की नीति के असफल होने की घोषणा करते हैं।

दैवयोग से देश में जातिवादी नेताओं का पराभव, नये नेतृत्व का अभाव और जातिवादी दलों को नकारते जाना भी जाति आरक्षण की तरफ बढने का अवसर सरकार को देता है। जातीयता की कमजोर नस को दबाकर भारत को कमजोर करने के साफ संकेत भी दिखने लगे तो सरकारें और पार्टियाँ भी चौकन्नी हो गई है। क्योंकि जाति आरक्षण अब क्षेत्रीय आरक्षण और धार्मिक आरक्षण की तरफ बढता दीख रहा है। बिना नेतृत्व की इच्छा शक्ति के न्यायपालिका का सच का फैसला कागजी घोड़ा ही सिद्ध हो रहा है।

आशा होने लगी है कि केन्द्र सरकार अब जाति आरक्षण को समाप्त करने का मन बना चुकी है। यह ऊपर के तथ्यों से ध्वनित होता है। समय और देश की मांग है कि आजादी के 75वें साल में संवैधानिक भारत जातिवादी बेड़ियों से मुक्त कर ही दिया जाये। असंदिग्ध रूप से जिस दिन ऐसा होगा वह भारत की दूसरी आजादी का दिन होगा।

पौराणिक कथन : 'इक्षुमति'

उत्तरी भारत में बहने वाली नदी जो कलिंद नामक पर्वत से निकलने के कारण कालिंदी कहलाई। आजकल यमुना कहलाती है।

जाती कहने सुनने वालो,
जाती काम नहीं आयेगी।
आगत जब ललकारेगा तब,
जाती ठहर नहीं पायेगी।।

कविता

''विरूद्ध मन का द्वेष''

अच्छा पढा लिया गया बेटा
था बुद्धि से तनिक होशियार।
नब्बे प्रतिशत से ऊपर ही,
अंक ले आता था हर बार।
कि मनचाहे कॉलेज फिर भी,
मिल नहीं पाया कभी प्रवेश।
स्वाभाविक था आरक्षण के,
विरूद्ध मन में जागना द्वेष।
काबलियत होते भी मौका,
न मिल पाना है कितना उचित।
समतावादी के प्रति अन्याय,
क्यों रखा जाए उनको वँचित।
सब चाहते होना चाहिए,
अति गरीब का उत्थान यहाँ।
लेकिन जाति धर्म के बल पर,
पनप सका है कब कौन कहाँ।
समान अधिकार सभी का हो,
कहे है देश का संविधान।
हक दूसरों का छिनने की,
किसने की है अनुमति प्रदान।
आरक्षण को लिए देश के,
पूरे हुए पिचहत्तर साल।
गलत नीतियों के चलते ही,
कुछ अधिक बिगड़े सब के हाल।
राजनीति जो करते हरदम,
देश को करते है गुमराह।
जातियों व मजहब की सुविधा,
रखते वोट बैंको की चाह।
तीन पीढियों से आरक्षण,
का लाभ कर रहे है प्राप्त।
बस बहुत हुआ अब आरक्षण,
हो जाए जल्दी से समाप्त

(प्रमोद व्यास)

देश और राज्यों की स्थिति

गतांग से आगे:

देश और राज्यों की स्थिति

इस प्रकार के परिणाम देनेवाले अर्हता-मानदंडों एवं शर्तों से शिक्षा और व्यावसायिक कुशलता का स्तर प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? इससे उन छात्रों के मनोबल पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो केवल सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए ही प्रतियोगिता करते हैं। क्या इससे दोनों ही श्रेणी के छात्रों - यानी सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले तथा आरक्षण कोटे की सीटें प्राप्त करने वाले को यह स्वीकार करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा कि महत्व छात्र की कड़ी मेहनत का नहीं बल्कि उसकी अपनी जाति का हैं?

इस प्रकार के परिणाम देनेवाले अर्हता-मानदंडों एवं शर्तों से शिक्षा और व्यावसायिक कुशलता का स्तर प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? इससे उन छात्रों के मनोबल पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो केवल सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए ही प्रतियोगिता करते हैं। क्या इससे दोनों ही श्रेणी के छात्रों -यानी सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले तथा आरक्षण कोटे की सीटें प्राप्त करने वाले को यह स्वीकार करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा कि महत्व छात्र की कड़ी मेहनत का नहीं बल्कि उसकी अपनी जाति का हैं?

क्या तरीका है ज्ञान की महाशक्ति बनाने का।

हमें यहाँ एक और तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए-'90 के दशक के पूर्वार्द्ध के बाद से कुछ राज्यों में एक परिवर्तन आया है, जो किसी पक्षपातपूर्ण उपचार का एक तरीका प्रदर्शित करता है।

गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान में संवाददताओं ने खबर दी कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में अब पूर्वोल्लिखित किसी प्रकार की विषमता नहीं दिखाई दे रही है। खबर थी इन राज्यों में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, जिनमें जाति के आधार पर किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा रहा हैं, यहाँ तक कि शून्य अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी प्रवेश मिल रहा है कल के इंजीनियरिंग की कुशलता-योग्यता पर इसका चाहे जो भी प्रभाव पड़े। हालाँकि यह एक गंभीर समस्या है, लेकिन यहाँ वह हमारे विषय के अंतर्गत नहीं आती। परंतु इससे एक बात जरूर सामने आती है। कि क्या पूर्वोल्लिखित विषमताओं को दूर करने का एक उपाय यह नहीं हो सकता कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ा दी जाए। इससे कम-से-कम अत्यधिक आरक्षण के कारण होने वाली अन्याय की स्थिति से तो बचा ही जा सकेगा।

इस उपाय या हल की भी एक सीमा है । इसे हम सरकारी सेवाओं में नहीं लागू कर सकते । या किया जाना चाहिए ? बस सरकारी नौकरियों को ही तो बढ़ाते जाना है।

सेवाओं में

ऐसी ही परिपाटी और ऐसे ही परिणाम अब सेवाओं में -सर्वोच्च स्तर के पदों में भी देखे जा रहे हैं।

बात इतनी ही नहीं है कि सेवा में भरती या नियुक्ति के समय ही सीटें आरक्षित की जा रही हैं। भरती से लेकर आगे सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी पदोन्नति के स्तर पर भी आरक्षण। कई सरकारी विभागों में तो पदोन्नति को भी एक अलग व्यवस्था जिसे 'रोस्टर सिस्ट' नाम दिया गया है-के अंतर्गत अलग-अलग स्तरों में बाँट दिया गया है।

गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह व्यवस्था लागू है, जो एक के बाद दूसरे विभाग तक अपने पैर पसारती जा रही है।

प्रत्येक श्रेणी के पदों में और प्रत्येक स्तर पर रोस्टर सिस्टम सवार हो गया है। पदों का आरक्षण एक विशेष क्रम में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यह विशेष क्रम इस प्रकार हो सकता है-पद संख्या 1 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है और पद संख्या 4 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है। यानी गैर-आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की पद संख्या 2 और पद संख्या 4 के रिक्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। और अंत में, जब ये पद रिक्त भी होंगे तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिन्हें पहले ही आरक्षण मिल चुका है।

बात यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ राज्यों में रोस्टर को भी वर्गीकृत कर दिया गया है। पद संख्या 2 और 4 केवल पिछडी जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकते है। इसके साथ ही साथ पिछड़ी जातियों को भी अनेक उपसमूहों में बाँट दिया गया है। कर्नाटक की बात करें तो पाँच समूहों में । इस प्रकार, व्यवस्था कुछ इस प्रकार की हो गई है कि पद संख्या 2 या 7 जो भी हो न केवल पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। बल्कि पिछड़ों जातियों में भी उप-समूह 'अ' या 'ब' के लिए आरक्षित है।

ऐसे में होता यह है कि कई कर्मचारी तो रातोरात पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं और कुछ एक ही स्थान पर पड़े रह जाते हैं। अहमदाबाद से मेरे सहकर्मी एम.के.मिस्त्री ने ऐसे ही एक कर्मचारी जो पिछड़ी जाति को होने के कारण एक ही दिन मे दो-दो पदोन्नति प्राप्त करने में सफल हो गया , जबकि अन्य अपने पद पर पड़े रहे-के बारे में बताया। दिल्ली में भी हमें एक कर्मचारी के बारे में खबर मिली, जिसने वर्ष 1957 में सेवा शुरू की थी। सभी सहकर्मियों द्वारा योग्य माना जानेवाला यह कर्मचारी अधिकारी वर्ष 1992 में हमारे सर्वेक्षण के समय एक महिला के अधीन कार्य कर रहा था। महिला अधिकारी का जन्म सन् 1966 में हुआ था, हाँ, अपनी जाति की विशेषता के कारण उसे जल्दी-जल्दी पदोन्नतियाँ जरूर मिल गई थीं।

अर्थात् पहले आरंभिक नियुक्ति के समय आरक्षण, फिर पदोन्नति में आरक्षण और पुनः वर्गीकृत रोस्टर के अनुसार पदोन्नतियों में आरक्षण।

और हमें विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि इससे शासन-प्रशासन या सरकारी तंत्र की कुशलता और गुणवत्ता बिलकुल भी प्रभावित नहीं होगी।

'दि इंडियन एक्सप्रेस' में मेरे सहकर्मियों ने इस व्यवस्था के दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए खबर भेजी थी, जिसमें राज्य-दर-राज्य और अलग-अलग विभागों की स्थिति एवं संकेत किया गया था।

भारतीय रेलवे, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा व्यवस्था, केरल की शिक्षा व्यवस्था-हर जगह, हर विभाग में सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों में व्याप्त रोष व असंतोष देखा गया और साथ ही सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों तथा आरक्षण श्रेणी के कर्मचारियों के बीच कड़वाहट का माहौल भी देखा गया। इनके अतिरिक्त कई अन्य अनिष्टकारी स्थितियाँ भी सामने आई हैं। पहली स्थिति तो यही सामने आई है कि अर्हता-शर्तों में इतनी सारी छूटें देने के बावजूद आरक्षण कोटे की सीटें या पद पूरी तरह से नहीं भर पाते हैं। ऐसे में वे भाग्यशाली व्यक्ति-जो मौके पर सेवा में उपलब्ध होते हैं-जल्दी-जल्दी पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं।

उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए इतने व्यापक प्रयास के बावजूद उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आरक्षित 6 प्रतिशत पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति सन् 1992 में ही हो पाई । लेकिन प्रावधान यही था कि 20 प्रतिशत पदोन्नतियाँ इन जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। परिणामस्वरूप डॉ.'अ'-हालाँकि मेरे पास डॉक्टर का नाम भी है, लेकिन नाम देने का कोई औचित्य नहीं है। अपने साथ कार्य कर रहे 100 डॉक्टरों से ऊपर उछलता हुआ संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति हो गया । इसी तरह डॉ. 'ब' 500 डॉक्टरों से ऊपर डॉ.'स' 900 डॉक्टरों से ऊपर और डॉ. 'द' 1600 डॉक्टरों से ऊपर उछलता हुआ पदोन्नत हो गया ।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक
'आरक्षण का दंश' से साभार

जस्टिस पानाचंद जैन की पुस्तक ''भारतीय जनतंत्र, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य'' का लोकार्पण

जयपुर। जस्टिस पानाचंद जैन की दो खण्डों में तैयार पुस्तक ''भारतीय जनतंत्र, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य'' का लोकार्पण केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जयपुर की कानोडिया महिला महाविद्यालय में आयोजित समारोह में किया। यह पुस्तक जस्टिस पानाचंद जैन के दैनिक राष्ट्रदूत में प्रकाशित अग्रलेखों पर आधारित है।

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जस्टिस पानाचंद जैन ने अपने ग्रंथ में जनतंत्र और संविधान की खरी-खरी व्याख्या कर देश और समाज का मार्गदर्शन किया है। समाज के विभिन्न वर्गों का यह दायित्व है कि वह लोगों को बदली हुई परिस्थितियों में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी जानकारी दे, ताकि मिल जुलकर सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके।

शेखावत ने कहा हमारे जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिये। हमने अब तक क्या किया है और क्या करना चाहिए, इसका आंकलन हमें खुद ही करना चाहिये। जस्टिस जैन ने आजादी के संघर्ष को प्रत्यक्ष देखा है जिसका निचोड़ इस ग्रंथ में उनके अनुभवों के रूप में देखने को मिलता है। उन्होंने ग्रंथ को आज के समय में समीचीन बताया और कहा उनकी सामयिक टिप्पणियाँ न केवल गौरवान्वित करती है अपितु समाज का मार्गदर्शन भी करती है।

समारोह को सम्बोधित करते हुये हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के उप कुलपति ओम थानवी ने पानाचंद जैन की पुस्तक को पठनीय बताते हुए कहा कि उनके विचारों में गांधीवादी दर्शन की झलक मिलती है। थानवी ने कहा जस्टिस जेन के लेखों की भाषा सहज और सरल है तथा विभिन्न विषयों को तार्किक ढंग से पिरोया है।

जस्टिस पानाचंद जैन ने अपने ग्रंथ में जनतंत्र और संविधान की खरी-खरी व्याख्या कर देश और समाज का मार्गदर्शन किया है। समाज के विभिन्न वर्गों का यह दायित्व है कि वह लोगों को बदली हुई परिस्थितियों में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी जानकारी दे, ताकि मिल जुलकर सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके। -गजेन्द्र सिंह शेखावत

इस पुस्तक के लेखक जस्टिस पानाचंद जैन ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है लेकिन आज अभिव्यक्ति पर कई तरह के खतरे मण्डरा रहे है।

समारोह के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.एस.दवे ने कहा कि यह ग्रंथ सभी वर्गों के लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। जस्टिस जैन शुरू से ही प्रतिभाशाली रहे है। उन्होंने सेवानिवृति के बाद उनके साथ तीस से अधिक देशों की यात्राएं की है। इनके लेखों को शब्दों में बांधना मुश्किल है। मंच पर समता आन्दोलन समिति के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा भी मौजूद रहे।

प्रारम्भ में पुस्तक के लेखक जस्टिस पानाचंद जैन ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए पुस्तक विषयक जानकारी दी और कहा हमारा संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है।

उन्होंने राष्ट्रदूत के प्रबंधकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मुझे अतिथि सम्पादक के रूप में लिखने की प्रेरणा दी। इस पुस्तक में गत पांच वर्षों में लिखे कुछ लेखों का संकलन है।

उन्होंने कहा कि भारत जैसा संविधान किसी भी देश का नहीं है। यह संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन आज इस अभिव्यक्ति पर कई तरह के खतरे मण्डरा रहे है। हमारे संविधान के अनेक पक्ष है और उनकी व्याख्या अनेक तरह से की जा सकती है। जैन ने कहा कि इस किताब में मैंने जो लिखा है वह मेरा अपना मत है, और लोग इस मत से सहमत या असहमत हो सकते है।

जस्टिस जैन ने विभिन्न विषयों पर लिखे लेखों की भी जानकारी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लेखक, पत्रकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्तमान और पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद उपस्थित थे।

ईडब्ल्यूएस कोटे की आय सीमा घटाने की तैयारी

नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सालाना 8 लाख रूपये की सीमा पर केन्द्र सरकार फिर से समीक्षा करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह ईडब्ल्यूएस कोटे की सीमा पर दोबारा विचार करेगा। कोर्ट से इसके लिए चार हफ्ते मांगे भी है। सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बैंच को सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बैंच को बताया कि सरकार एक समिति का गठन कर वार्षिक आय के मानदंड पर फिर से विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथ वाली बैंच को बताया, मेरे पास यह कहने के निर्देश है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। हम एक समिति बनाएंगे और चार सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे। हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के मानदंड पर फिर से विचार करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र से सवाल

देश भर में समान रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए आय मानदंड तय करने को लेकर केन्द्र द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के संबंध में पिछले दो महीनों में सुप्रीम कोर्ट में कई प्रस्तुतियाँ आई। कोर्ट ने ऐसी कई याचिकाओं की जांच की जिनमें वर्तमान शैक्षणिक साल 2021-22 में मेडिकल एंट्री में अखिल भारतीय कोटा सीटों के भीतर ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी है। 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केन्द्र पर कई सवाल उठाये थे। सुप्रीम कोर्ट ने मेहता के बयान को रिकार्ड में लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मानदंड की समीक्षा करने के लए चार हफ्ते की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चार हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को तय की है।

ओबीसी वर्ग

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस नियम और शर्त को कोई आधार भी है या सरकार ने कहीं से भी उठाकर ये मानदंड शामिल कर दिये है। कोर्ट ने सवाल उठाते हुये कहा कि इसके आधार में कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डाटा तो होगा? कोर्ट ने कहा कि ओबीसी वर्ग में जो लोग आठ लाख रूपये से सालाना कम आय वर्ग में है वो तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े है लेकिन संवैधानिक योजनाओं में ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा नहीं माना जाता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।

आय का अलग पैमान होना जरूरी नहीं

26 अक्टूबर को सरकार ने 8 लाख रूपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले लोगों के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू करने के अपने फैसले को सही ठहराते हुये अपना हलफनामा दायर किया। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के मामलों में, गरीबों की पहचान करने के लिए आय सीमा निर्धारित करने के लिए गणितीय सटीकता नहीं हो सकती है। सरकार ने कहा कि अलग-अलग शहरों, राज्यों और क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पैमाना होना जरूरी नहीं है क्योंकि समय के साथ आर्थिक स्थितियाँ बदलती रहती है। पूरे देश में लागू एक व्यापक मानदंड को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान करने के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि ये नीतिगत मामले है जिनमें अदालतों को दखल देने की जरूरत नहीं है।

विशेष समिति का गठन जरूरी

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुये वरिष्ठ अधिक्ता अरविंद दातार और अधिवक्ता चारू माथुर ने इस मामले में तर्क दिया है कि राज्यों में हर व्यक्ति की आय व्यापक रूप से अलग है। इसलिए, अखिल भारतीय स्तर पर ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन जरूरी है। जो सावधानीपूर्वक इसकी समीक्षा कर सके ताकि सामाजिक न्याय प्राप्त हो। इस साल के लिए वकीलों ने अनुरोध किया है कि आरक्षण की व्याख्या करने वाले किसी भी मानदंड के अभाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिये। बता दें कि 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियत 2019 के तहत पेश किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दी जा रही है।

एससी-एसटी-ओबीसी लगा रहे त्रिवेदी, गौड़, झा सरनेम

इंदौर। पीएससी के पास इस बार अजीब शिकायत पहुंची। आरोप लगे कि उसने आरक्षित कोटे की सीटों में सवर्णों को प्रवेश दे दिया। इससे पीएससी में हडकंप मंच गया। जांच की गई तो पता चला कि एससी,एसटी,ओबीसी वर्ग के 21 उम्मीदवारों के सरनेम उपाध्याय, पांडेय, भार्गव, गौड़, त्रिवेदी, झा, तोमर, भदौरिया, गोयल और व्यास है, इस कारण गफलत हुई। नियमों को कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इनका चयन आरक्षित वर्ग में ही हुआ है।

आरोप लगाने वालों ने योगेश कुमार उपाध्याय, आलोक पांडेय, पारख गौड़ आदि उम्मीदवारों के नाम पीएससी को बताये जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के है।

इसी तरह ओबीसी वर्ग में मीना झा, अजय झा जैसे नाम बताऐ। शिकायतकर्ता ने कहा कि सभी नाम सवर्ण जातियों के है। ऐसे में चयन प्रक्रिया में गडबडी कर सामान्य श्रेणी उम्मदीवारों को लाभ दे दिया गया। इसके बाद पीएससी ने उनकी कापियां और दस्तावेज दोबारा खुलवाये तो स्थिति साफ हो सकी।

लीजिये: श्रम में भी आरक्षण??

राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर को जारी एक पत्र सोशल मीडिया पर विवादित हो गया है। पत्र में आदेश के रूप में दर्ज है कि 20वीं पशुगणना, 2019 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मानदेय मद में 178.4 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। इसमें से 35.52 लाख रूपये एसटसी वर्ग और 46.94 लाख रूपये एसटी के प्रगणकों व सुपरवाईजर्स को भुगतान हेतु कहा गया है। प्रपत्रक भरवाकर इस राशि के वितरण की बात कही गई है। इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रियाऐं देखने को मिल रही है। अधिकतर इसे संवैधानिक प्रावधानों का विरोध बता रहे है तो अनेक लोग इससे जातीय समरसता टूटने की बात बता रहे है। जबकि कई इसे परिश्रम में जाति आरक्षण थोपने का कारण बता रहे है।

सभी समता वादियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in